**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 1097**

**दिनांक 19 दिसम्‍बर, 2018**

**एच पी सी एल गैस पाइपलाइन का**

**बिछाया जाना**

**1097. श्री वि॰ विजयसाई रेड्डीः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एच पी सी एल आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में इब्राहिमपट्टनम से तमिलनाडु में धर्मपुरी तक गैस पाइपलाइन बिछा रहा है;

(ख) क्या एच पी सी एल ने कृष्णा जिले जी॰ कोंडुरा, वीरूलापडु, चन्द्रपडु, कांचिकाचेरला मंडलों, कृष्णा जिले से 250 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए 30 वर्ग मीटर चौडी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और इन मंडलों में 800 किसानों को नोटिस जारी किये हैं;

(ग) एच पी सी एल इसे कैसे उचित ठहराता है कि यदि किसानों की भूमि से गुजरने वाली पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होती है तो इसके लिए किसान उत्तरदायी होगा;

(घ) एच पी सी एल मुआवजे के रूप में भूमि पंजीकरण की कीमत का केवल 10 प्रतिशत ही क्यों भुगतान कर रहा है; और

(ङ) मंत्रालय इसे कैसे सुलझाएगा और किसानों को उपर्युक्त मुआवजा देगा?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क) : एचपीसीएल की आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा (इब्राहीमपट्टनम के पास) से तमिलनाडु में धरमपुरी तक प्रस्‍तावित पाइपलाइन पेट्रोलियम उत्‍पादों अर्थात पेट्रोल, डीजल और मिट्टी तेल आदि के परिवहन के लिए है।

(ख) : उपर्युक्‍त पाइपलाइन के लिए एचपीसीएल ने  कृष्‍णा जिले के जी. कुंडुरु, विरुलापाडु, चंद्रापाडु, कंचिकाचेरला मंडलों में पेट्रालियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्‍ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (पीएमपी अधिनियम) के तहत भूमि में उपयोग के अधिकार के रूप में 18 मीटर चौड़े कॉरीडोर का अधिग्रहण करने का प्रस्‍ताव किया था और अधिनियम के अनुसार संबंधित भू-स्‍वामियों को अपेक्षित नोटिस जारी कर दिए गए थे।

(ग):   पीएमपी अधिनियम में भू-स्वामियों द्वारा किसी भवन अथवा किसी अन्‍य संरचना के निर्माण, किसी टैंक, कूप, रिर्जवॉयर अथवा बांध आदि का निर्माण अथवा खुदाई करने के कार्य को निषिद्ध किया गया है। तथापि मूल उपयोग के अनुसार नियमित कृषि कार्यकलापों की अनुमति है।

(घ)    और (ड.): पीएमपी अधि‍नियम के अनुसार उपयोग के अधिकार के लिए भूमि के बाजार मूल्‍य के 10 प्रतिशत मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। उपयोग के अधिकार का अर्जन स्‍थायी रूप से भूमि के अधिग्रहण से भिन्‍न है। उपयोग के अधिकार के अर्जन के तहत भूमि का स्‍वामित्‍व मूल स्‍वामी के पास ही रहता है। तथापि, निर्माण के दौरान सभी फसलों, पेड़ों, संरचनाओं, यदि कोई हो, के नुकसान अथवा अवसर संबंधी नुकसान, यदि कोई हुआ हो, की प्रतिपूर्ति संबंधित राज्‍य प्राधिकरणों द्वारा किए गए मूल्‍यांकन के अनुसार की जाती है।

\*\*\*\*